

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 24 अगस्त, 2021 भाद्रपद 2, 1943 शक सम्वत्

> उत्तर प्रदेश शासन विघायी अनुभाग–1

संख्या <u>79</u>2 / 79-वि-1—21-1(क)22-2021 लखनऊ, 24 अगस्त, 2021

> अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021 जिससे विधायी अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 अगस्त, 2021 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विघान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कतिपय अधिनियमितियों, जो वर्तमान समय में अप्रचलित और अनावश्यक हो गयी हैं, का निरसन करने के लिए

अधिनियम

मारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन अधिनियम, 2021 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा। कतिपय अधिनियमितियाँ का निरसन 2-नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की

जाती हैं।

व्यावृत्ति

3-इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,-

- (क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो ;
- (ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व कृत्य या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे;
- (ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धित या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रुद्धि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे कि एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा;
- (घ) कोई अधिकारिता, पद, रुढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे ;
- (ङ) लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी दंवारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है. और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित न की गयी हाँ।

अनुसूची (धारा 2 देखें)

निरसित किये जा रहे अधिनियम

. 1	संयुक्त प्रान्त राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, 1935 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1935)
2	दि यूनाइटेड प्राविन्सेस लैंड एक्वीजीशन (रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफयूजीज) ऐक्ट, 1948 (यूनाइटेड प्राविन्सेस ऐक्ट संख्या 26 सन् 1948)
3	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स ऑफ कन्ट्रोल) (अमेंडमेंट एण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स) ऐक्ट, 1956 (उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 29 सन् 1956)
4	उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1976)
5	उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 1976)

उद्देश्य और कारण

यह विधेयक उन आविधक उपायों में से एक आविधक उपाय है जिनके द्वारा उन अधिनियमितियों, जो प्रवर्तन में नहीं रह गयी हैं या अप्रचलित हो गयी हैं, का निरसन किया जाता है। राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर तथा नागरिकों एवं उद्योगों के लिये कारबार में सुगमता प्रदान करने हेतु विनियामक अनुपालन सम्बन्धी भार को कम करने तथा गैर-अपराधीकरण के उद्देश्य से वर्तमान में अप्रचलित तथा अनुपयोगी हो चुकी या पृथक अधिनियमों के रूप में बने रहना अनावश्यक हो चुकी अधिनियमितियों का, प्रशासकीय विभागों से तत्सम्बंध में सहमित प्राप्त करने के पश्चात् वर्ष 2021 के राज्य विधान मंडल के द्वितीय सन्न में विधेयक पुर स्थापित करके, निरसन किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विघेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

No. 792 (2)/LXXIX-V-1-21-1(ka)22-2021 Dated Lucknow, August 24, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh (Tritiya) Nirsan Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 24, 2021. The Vidhayi Anubhag-I is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH (THIRD) REPEALING ACT, 2021 (U. P. ACT no. 21 OF 2021)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to repeal certain enactments that have become obsolete and redundant in the recent times.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

- 1. This Act may be called the Uttar Pradesh (Third) Repealing Act, 2021.
- 2. The enactments specified in the Schedule below are hereby repealed.
- 3. The repeal by this Act of any enactment shall not,-
- (a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;
- (b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

Short title

Repeal of certain enactments

Savings

- (c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed;
- (d) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force;
- (e) affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken, and, or continued as if the said enactments are not repealed by this Act.

SCHEDULE (See section 2) Acts being repealed

1	The Uttar Pradesh National Parks Act, 1935 (U.P. Act no. 1 of 1935)
2	The United Provinces Land Acquisition (Rehabilitation of Refugees) Act, 1948 (U.P. Act no. 26 of 1948)
, 3	The Uttar Pradesh Electricity (Temporary Powers of Control) (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1956 (U.P. Act no. 29 of 1956)
4	The Uttar Pradesh Resin and Other Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1976 (U.P. Act no. 13 of 1976)
5	The Uttar Pradesh Electric Wire and Transformers (Prevention and Punishment of Theft) Act, 1976 (U.P. Act no. 42 of 1976)

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is one of those periodical measures by which enactments which have ceased to be in force or have become obsolete, are repealed. On recommendation of the State Law Commission, and in order to reduce regulatory compliance burden to facilitate ease of doing business for citizens and industries and with the objective of decriminalization, it has been decided to repeal enactments which have become redundant and obsolete in present times or retention whereof as separate Acts is unnecessary, by introducing a Bill in the second session, of the year 2021, of the State Legislature after obtaining the consent of the Administrative Departments related therewith.

The Uttar Pradesh (Third) Repealing Bill, 2021 is introduced accordingly.

By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० २६३ राजपत्र--२०२१-(५९२)--५९९ प्रतियां--(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०--ए०पी० ७१ सा० विधायी--२०२१--(५९३)--३०० प्रतियां--(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।